

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(10)नविवि/रेरा/2021

जयपुर, दिनांक :-

आदेश

राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) के अन्तर्गत निम्नवत 19 अस्थाई पदों की अवधि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.06.2021 एवं संशोधित आदेश दिनांक 28.06.2021 व 17.12.2021 एवं आदेश दिनांक 20.06.2022 (वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. संख्या 102000163 दिनांक 31.03.2021, आई.डी. संख्या 102105606 दिनांक 08.12.2021 में अंकित शर्तों के अध्यक्षीन दिनांक 28.02.2026 तक वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

S.No.	Post	Sactioned Posts	Pay-Matrix
1	2	3	4
1.	Chairman	1	रेरा एक्ट एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते
2.	Member	2	रेरा एक्ट एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते
3.	Adjudicating Officer	1	RHJS Scale
4.	Registrar	1	L-19
5.	Deputy Registrar (Complaint/Court)	1	L-16
6.	Private Secretary	3	L-15/16
7.	Law Officer	1	L-12
8.	Enforcement Officer	1	L-12
9.	Assistant Director Prosecution	1	L-15
10.	Assistant Accounts Officer-i/ii	1	L-11/12
11.	Stenographer	2	L-11
12.	Information Assistant/ Technical Assistant	2	L-09
13.	Junior Assistant (Cashier/Store keeper/ Bill clerk)	1	L-05
14.	Driver	1	L-05
Total		19	

रेरा के दो अस्थाई पद क्रमशः Joint Registrar (Project) एक पद एल-19 तथा Junior Draftsman/CAD Operater एक पद एल-05 को समाप्त (Abolish) किया जाता है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.संख्या 172500343 दिनांक 24.02.2025 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. संख्या 172500343 दिनांक 24.02.2025 के क्रम में।
5. सहायक निदेशक, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर।

शासन उप सचिव-प्रथम